रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-951/2026/4032/22-2-2023-17(983)/2021

लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रेम कुमार त्रिपाठी (बन्दी संख्या-28211) पुत्र श्री भगवत सहाय, निवासी- ग्राम-नगला भगवान, थाना-शाहाबाद, जनपद-हरदोई, जिन्हें (1) सत्र परीक्षण संख्या-286/1982, में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-2, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 12.11.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनाक 03.05.2018 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-803/2004, में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 18.12.2020 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक 25.07.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष, 03 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 01 माह, 05 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक 25.07.2023 तक अपरिहार 02 वर्ष, 05 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 10 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-951/2026/4032(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।